

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक २ / ७ / 2013

क्रमांक एफ 1-11/2013/1/चौंतीस :: राज्य शासन एतद्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैण्डपंप तकनीशियनों को देय मासिक स्थायी यात्रा भत्ता रु. 200/- (दो सौ) से बढ़ाकर रु. 300/- (तीन सौ) स्वीकृत किया जाता है।

2/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी०के०ठाकुर)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल, दिनांक २ / ७ / 2013

पृ०क्रमांक एफ 1-11/2013/1/चौंतीस ::
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार म०प्र०ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी म०प्र०भोपाल।
6. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
7. मुख्य अभियंता (वि/यां) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र, भोपाल।
8. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/परियोजना मण्डल, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
9. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मध्यप्रदेश।
10. जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. स्टॉक फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
2/7/13